





प्रकारितम्.

नवित्. प्राविधिक विद्या परिषद्.

द्वारा प्रवेश सम्बन्धम्।

संख्या- प्राविधिकपरिषद् सम्बन्धिता/2021/3637

लघनः दिनांक 08/08/2021

कारणोक्तम्।

अखिल भारतीय तकनीकी विद्या परिषद्, नई दिल्ली/कर्मवीर काठिनिल ओफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लेष्य सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थ्याः शारीय तकनीकी विद्या संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक विद्या परिषद्, संस्था सम्बन्धित से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक. 08/08/2021 को परिषद् तकनीका ये सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आर्सेडिज नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित प्रवेशों की सम्बद्धता विस्तार फायदासग प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वे शिक्ष संस्था को प्राविधिक विद्या परिषद्, जो जो लघनः द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निश्चित शर्तों के अधीन फायदासग पूर्व निर्णय अक्षित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की गयी है.

संस्था का फॉट एवं नाम - 3077-BHAGWAN AADINATH COLLEGE OF PHARMACY, VILL-MOHARRA BLOCK-JAKHORA, LALITPUR-264132

क्र.सं.	प्रवेशक्रम का नाम	पूर्व-सर्वोपरानीयतापूर्वः पीएल-आई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था को-ऑर्डिनेट/सीसीओ/पीसीओ/आईटु द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक विद्या परिषद् फंड 1982 तथा प्राविधिक विद्या परिषद् निगमावली 1992, सैपेकटा निगमावली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों में दो-दो वर्षों में हेतु रूप 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों पराधीन फायदासग हेतु रूप- 60000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों फायदासग हेतु वर्षों पराधीन फायदासग के अधिनियम हेतु रूप- 22000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधिनियम अनुसार सभी वी शुल्क के शासक में सत्य-सत्य पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनद्वारा उपायों द्वारा, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। अधिसूचित समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीब का पुनर्निर्माण किया जाय है, तो पीब की भीषणता ही लागू होगी।
- ✓ संस्था को (तापत) प्राविधिक विद्या समितीयं तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना निगमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित जागी की ही प्रवेश दिया जायेगा। शैरो के विस्तार एवं नवी की शर्तों में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित अनुमोदन के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए-आर्सेडिज नई संस्थाओं को हेतु अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

  
VIRENDER KUMAR  
Bhagwan Aadinath College  
of Pharmacy, Lalitpur (UP)



## कार्यालय

संघिय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संलग्नक- दिनांक- 30/08/2022

### -कार्यालय भाष-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषित सन 2022-23 हेतु द्वितीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदन पूर्व संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश हमला वृद्धि सहित अन्य सटी पर विचार करने हुए सन 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी द्वारा सन 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अविनाश योग्य संख्या हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 3027-BHAGWAN AADHATH COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईसीटीईव/पीसीएनईव द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एचआईसीटीईव/पीसीएनईव द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, संशोधन विनियमावली-2018 तथा संस्था-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शूलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूलक तीन वर्षीय इंडीय पाठ्यक्रमों हेतु सन 20150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मासी पाठ्यक्रम हेतु सन- 43000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों एवं वर्षीय जर्नेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु सन-22500,00/- प्रतिवर्ष शूलक ही प्रत्येक अवसर पर ले प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शूलक के सम्बन्ध में संस्था-समय पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासन-व्यय प्रभारों होने, और सहानुभूति कार्यावाही किंग जल अवलोक होना। तीन निर्धारण समिति द्वारा यदि सन 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शूलक प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविनयों/अविनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बताये गये नियमों, विनयों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये उत्तरदायी है।

Dr. Vivek Kumar  
Principal

- ✓ यदि संस्था को ए०आईसीटीआईपीसीआई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरदक्षित संस्था को तंत्र और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए समस्त संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संगठन प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कार्य दायर किया जाता है तब दायर कर के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संगठन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रेषित हेतु आवेदनित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आईसीटीआईपीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अक्षर परासीध प्रवेश, अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अक्षरणा विद्यार्थी का अनुवहन कराया जायकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐड्रेसिंगल एवं भूमि, स्टाफ, संस्था-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ शिक्षण योजना के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघलित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरोधन समिति के संस्था उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कक्षाकरण, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के अंशालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्पदता बरखाए दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक अतीव निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्व-समस्त ए०आईसीटीआईपीसीआई-परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्पदता बरखाए कर दी जायेगी।
- ✓ सम्पदता सर्तों का अनुवहन न किया जाने अपना बर्तों का प्रस्तुत किये जाने की लिखित में निश्चयानुसार अनुवधानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(ए०आईसीटीआईपीसीआई)

सचिव

पुस्तक- प्राविधिकपरिषद सम्पर्कसं०२०२२/१४१४-६४५५

दिनांक: ३०/०३/२०२२

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्यनिदेशक, BHAGWAN AADINATH COLLEGE OF PHARMACY

  
Dr. Vusla Tomar  
Principal  
Bhagwan Aadinath College of Pharmacy  
Lucknow-22

  
(ए०आईसीटीआईपीसीआई)

सचिव